न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।

टी0एस0–300 / 2016

17.08.2023

वादी की पैरवी है एवं प्रतिवादी अनुपस्थित है। प्रस्तुत वाद आवेदक की ओर से शपथ पत्र के साथ दाखिल आवेदन आदेश–22 नियम–4 वो 151 सी. पी.सी. दिनांक–12.08.2022 पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर वादी के विद्वान अधिववक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान मुकदमा के प्रतिवादी सं0–1 अवध बिहारी सिंह, प्रतिवादी सं0–3 ब्रजमोहन सिंह, प्रतिवादी सं0–6 कलावती देवी एवं प्रतिवादी सं0–7 अनिल कुमार सिंह क्रमशः की मृत्यु कोरोना काल में दिनांक–05.01.2019, दिनांक–17.07.2020, दिनांक–09.07.2019 एवं दिनांक–16.05.2020 को हो गयी है। प्रतिवादी सं0–6 कलावती के वारिसान पूर्व से प्रतिवादी के रूप में कायम है। प्रतिवादी सं0–6 का नाम कलमजद करना है। प्रतिवादी सं0–1, 3 एवं 7 के प्रथम श्रेणी के वारिसान वो उत्तराधिकारी नीचे लिखे नाम वो पता के व्यक्ति है जिन्हें मृतक प्रतिवादी के स्थान पर प्रतिस्थापित करना अति आवश्यक है। उपरोक्त सभी मृतक प्रतिवादीगण की मृत्यु कोरोना काल में हुई है। अतः कोरोना काल में मृत्यु होने के कारण न्यायालय बंद वो लाक डाउन के कारण समय पर प्रतिस्थापन सवाल नहीं दिया जा सका जिसमें वादीगण का कोई दोष नहीं है। वादी वृद्ध गवार व्यक्ति है जिसे कानून की जानकारी नहीं है। वादी के द्वारा जान बूझकर कोई गलती नहीं किया गया है और परिस्थिति माडल रहता वो कोरोना काल नहीं होता तो सवाल समय–सीमा के अन्दर दिया जाता अलावे इसके वादी विलम्ब यानि सवाल अलग से देता है। अन्य बिन्दुओं को बवक्त सुनवाई पेश किया जाएगा। अतः न्यायहित में निवेदन है कि मृतक प्रतिवादी सं0–1, 3, 6 एवं 7 का नाम अर्जी से कलमजद कर प्रतिवादी सं0–1, 3 वां 7 के वारिसानों का नाम उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रतिवादी को प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु अन्तिम अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया जिस कारण प्रतिवादी को प्रतिउत्तर से वंचित किया गया।

वादी को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0–1 अवध बिहारी सिंह, प्रतिवादी सं0–3 ब्रज मोहन सिंह, प्रतिवादी सं0–6 कलावती देवी, प्रतिवादी सं0–7 अनिल कुमार सिंह के मृत्यु कोरानाकाल में होने की बात बतलाया है। प्रतिवादी सं0–6 कलावती देवी की वारिसान पूर्व से ही अभिलेख पर कायम है लेकिन प्रतिवादी सं0–1, 3 एवं 7 के वारिसानों को प्रतिस्थापित कराने हेतू वादी के द्वारा यह आवेदन दिया गया है। वादी ने अपने विलम्ब माफी के आवेदन में कोरोनाकाल समय एवं कोरोनाकाल न्यायालय में कार्य नहीं होने का कारण दर्शाया है जबकि कोरोनाकाल बित जाने के बाद एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विलम्ब माफी की तिथि बित जाने के पश्चात् इस तरह का आवेदन वादी के द्वारा दाखिल किया गया है। कोरोनाकाल बितने के बाद वादी का प्रतिस्थापन आवेदन देने का पर्याप्त समय उपलब्ध था परन्तु प्रतिवादी जान बूझकर कोरोकाल का बहाना बनाकर विलम्ब से आवेदन दाखिल किया है। अतः वादी द्वारा दाखिल विलम्ब माफी में यह न्यायालय कोई बल नहीं पाता है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतू मृतक के वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए 500/–रूपया खर्चा के साथ जो डी0एल0एस0ए0 के भिक्टिम कंपंसेशन फण्ड में देय होगा के साथ वादी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वादी कार्यालय लिपिक के उपस्थिति में मृतक का नाम विलोपित कर उनके जगह पर उनके विधिक वारिसानों का नाम समय–सीमा के अन्दर प्रतिस्थापित कराएं।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय